यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल** के माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री भानुप्रताप सिंह, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.12.2016 से 24.12.2016 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री नवीन कुमार मौर्य, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.08.2014 से 13.08.2014 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। जिसमें माह 11/2009 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

इकाई के अंतर्गत गंगा एवं अलकनन्दा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु भारत सरकार द्वारा एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित नगरों में स्वीकृति जलोत्सारण योजना - इन्टसैप्सन एवं डाईवर्जन (आई.एण्ड डी.) के अंतर्गत सीवर लाईन बिछाया जाता है तथा शहरों/नगरों के उत्सर्जित जल-मल को शोधन करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण कर सीवर लाईन से एकत्रित जल-मल को शोधित किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकारी क्षेत्र जनपद टिहरी के अंतर्गत देवप्रयाग, कीर्तिनगर, जनपद पौड़ी के अंतर्गत श्रीनगर तथा श्रीकोट गंगानाली एवं जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत नगर क्षेत्र है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	148.81	257.57*	140.31	140.31	108.76	-
2015-16	-	-	131.29	201.85*	495.60	495.60	70.56	-
2016-17	-	-	179.97	145.76	236.67	236.67	-	34.21

* मुख्यालय द्वारा छठे वेतन आयोग के एरियर की धनराशि सीधे सा.भ.नि. खातों में डाली गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	आई. एण्ड डी., एस.टी.पी. एवं पुनर्निर्माण योजना	-	140.31	140.31	-	-
2015-16		-	495.60	495.60	-	-
2016-17		-	236.67	236.67	-	-

(III) इकाई को बजट आंवटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के अंतर्गत स्थापना हेतु पेयजल निगम मुख्यालय एवं निर्माण निगम कार्यों हेतु राज्य परियोजना प्रबन्धन समूह (एस.पी.एम.जी.) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। विभाग के संगठनात्मक ढांचे की स्थिति सलंग्न है।

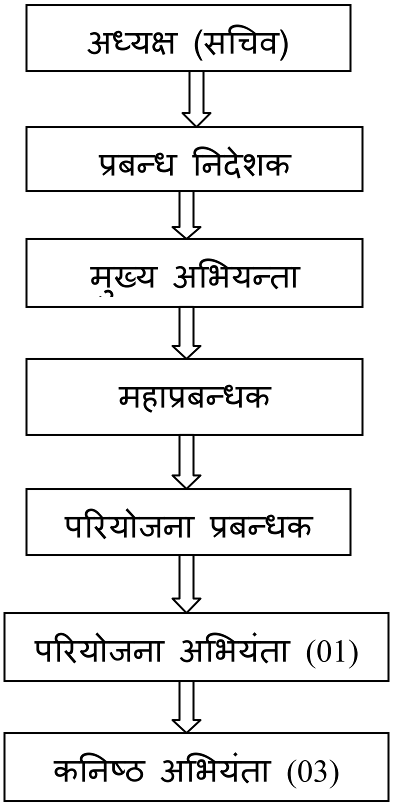

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं अगस्त 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्यालय में संचालित कुल 07 योजनाओं में से 05 योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन माह 11/2016 तक अधिकतम स्वीकृति एवं व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 15.02.2015, 16.09.2015, 14.11.2015 एवं 03.11.2016 में दिनांक 01.04.2014 से 31.10.2015 का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र-संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह अप्रैल 2016 तक की गई।

5. कार्यालय में फार्म 51 बनाने का प्राविधान नहीं है।

6. कार्यालय में इस तरह के कोई प्रपत्र तैयार किए जाने का प्राविधान नहीं है।

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - शून्य

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नकद परिशोदन - शून्य

(घ) निक्षेप - शून्य

(ड) भण्डार - शून्य

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
76/2014-15	1,2,3 एवं 4	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
76/2014-15	भाग-दो(अ) प्रस्तर-1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग-दो(अ) प्रस्तर-2	तदैव	तदैव	तदैव
	भाग-दो(अ) प्रस्तर-3	तदैव	तदैव	तदैव
	भाग-दो(अ) प्रस्तर-4	तदैव	तदैव	तदैव
	भाग-दो(ब) प्रस्तर-1	तदैव	तदैव	तदैव

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

1. कार्यालय में रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेखों का उचित ढंग से रख-रखाव किया गया था।
2. आय-व्ययक एवं गार्ड फाईल का रख-रखाव उचित ढंग से किया गया था।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- सीवर लाईन बिछाने पर ` 66.64 लाख का अलाभकारी व्यय।

राष्ट्रीय नदी बेसिन निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत रूद्रप्रयाग जलोत्सारण योजना (आई. एण्ड डी.) एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान (एस.टी.पी.) हेतु ` 791.58 लाख एवं ` 469.61 लाख की प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (सितम्बर 2009), जिसके अंतर्गत 6669 मीटर सीवर लाईन, 06 सीवेज पम्पिंग स्टेशन, 1700 मी. राईजिंग मेन एवं 3.0 एम.एल.डी. क्षमता का एसटी.पी. निर्माण किया जाना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर में सीवरेज को गंगा/अलकनन्दा नदीं में रोकने से है ताकि गंगा/अलकनन्दा नदी की स्वच्छता बनी रहे। भारत सरकार की स्वीकृति आदेश के अनुसार (I) आई. एण्ड डी. का निर्माण कार्य परियोजना स्वीकृति के तीन वर्ष तथा एस.टी.पी. का निर्माण कार्य दो वर्ष के अन्दर पूर्णकरना होगा तथा (II) किन्हीं भी कारण से योजना में यदि कोई लागत वृद्धि होती है तो उसका वहन राज्य सरकार की क्रियान्वन एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल के रूद्रप्रयाग जलोत्सारण योजना (आई.एण्ड डी.) से संबंधित लेखा-अभिलेखों की विस्तृत विश्लेषण जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के दो वर्ष पश्चात आई. एण्ड डी. कार्य के अंतर्गत स्वीकृत 6669 मी. सीवर लाईन बिछाने के सापेक्ष मात्र 1655 मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई (सितम्बर 2011), जबकि उक्त कार्य हेतु कार्यालय को ` 265.00 लाख (वर्ष 2009-10 में ` 50.00 लाख एवं वर्ष 2010-11 में 215.00 लाख) प्राप्त हो चुके थे। उक्त निविदा के अनुरूप आई. एण्ड डी. कार्य हेतु तीन निविदाओं में से न्यूनतम निविदादाता श्री दिनेश डंगवाल के साथ 1655 मी. सीवर लाईन विछाने हेतु ` 60.18 लाख का अनुबंध संख्या 04/पी.एम./2011-12 दिनांक 21.11.2011 में गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 21.11.2011 एवं 20.11.2012 निर्धारित थी। सीवर लाईन विछाने हेतु अनुबन्धित 1655 मीटर के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा 1623.84 मी. लाईन विछाई गई, जिस पर ` 66.64 लाख व्यय के साथ कार्य 04.06.2013 में वास्तविक रूप से पूर्ण किय गया। आगे, जांच में पाया गया कि एस.टी.पी. निर्माण हेतु सितम्बर 2009 में स्वीकृत ` 469.61 लाख के सापेक्ष कार्यालय को ` 197.50 लाख (वर्ष 2010-11 में ` 135.00 लाख एवं वर्ष 2011-12 में ` 62.50 लाख) प्राप्त हुए थे परन्तु कार्यालय द्वारा एस.टी.पी. निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

विस्तृत विश्लेषण जांच में पाया गयाकि कार्यालय द्वारा समय पर स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ न कर जहाँ आई एण्ड डी. का कार्य तीन वर्ष अर्थात सितम्बर 2012 एवं एस.टी.पी. का कार्य दो वर्ष अर्थात सितम्बर 2011 में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, वहीं मात्र 24 प्रतिशत सीवर लाईन विछाकर

एवं ` 66.64 लाख व्यय कर दोनों कार्यों को बन्द किए जाने हेतु कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) को लिखा गया। दोनों कार्यों को बन्द किए जाने का मुख्य कारण जून 2013 की भीषण दैवीय आपदा में एस.टी.पी. हेतु चयनित स्थल में मलवा आ जाने एवं चयनित स्थल में एस.टी.पी. का निर्माण न किया जा सकना था, जिसके कारण उक्त जलोत्सारण योजनाओं के पुर्नवलोकन/परिवर्तन हेतु कार्यालय द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ` 341.49 लाख की एक अतिरिक्त नई योजना (नमामि गंगे के अंतर्गत रूद्रप्रयागनगर में अलकनन्दा नदीं हेतु प्रदूषण नियंत्रण कार्यों का प्राक्कलन आई. एण्ड डी. एवं एस.टी.पी.) का विस्तृत प्राक्कलन प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया। (अक्टूबर 2015), जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अप्राप्त है। नवीन विस्तृत प्राक्कलन रूद्रप्रयाग नगर में स्थित छः नालों की टेपिंग एवं एस.टी.पी. निर्माण का प्रावधान किया गया था विछाई गई अर्धनिर्मित 1623.84 मी. सीवर लाई, जिस पर ` 66.64लाख व्यय हो चुका था उसके अवशेष सीवर लाईन विछाने हेतु कोई प्रावधान न तो नए प्राक्कलन में किया गया एवं न ही इस हेतु कोई पृथक से प्राक्कलन तैयार किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर परियोजना प्रबन्धक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि एस.टी.पी. हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्रामीणों की आपत्ति किए जाने के कारण निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी तथा जून 2013 की आपदा में एस.टी.पी. हेतु चयनित स्थल में मलवा आ जाने के कारण योजना को बन्द करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जून 2013 की दैवीय आपदा में एस.टी.पी. हेतु चयनित स्थल ही क्षतिग्रस्त हुआ था न कि सीवर लाईन का स्थल। अतः एस.टी.पी. हेतु स्वीकृत योजना को बन्द किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं था, मात्र एस.टी.पी. हेतु स्वीकृत योजना के स्थल में ही परिवर्तन किया जा सकता था ताकि योजना के अंतर्गत बिछाई जा चुकी सीवर लाईन का उपयोग किया जा सकता था। कार्यालय द्वारा ऐसा न कर नवीन विस्तृत प्राक्कलन में रूद्रप्रयाग नगर में स्थित आठ नालों की टेपिंग एवं एस.टी.पी. निर्माण का ही प्रावधान किया गया तथा पूर्व में बिछाई गई सीवर लाईन एवं सीवर लाईन से संबंधित योजना को बन्द दिया गया। परिणास्वरूप, 1623.84 मी. सीवर लाईन बिछाने पर हुआ ` 66.64 लाख का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ।

अतः सीवर लाईन बिछाने पर हुए ` 66.64 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- रायल्टी की वसूली न किए जाने के कारण ` 3.42 लाख की राजस्व हानि।

परियोजना प्रबन्धक, आहरण एवं संवितरण अधिकारी शासकीय राजस्व जैसेः- आयकर, रायल्टी एवं विक्रय कर को प्रचलित दरों पर ठेकेदारों के देयकों से कटौती/वसूली के लिए जिम्मेदार होता है। शासन द्वारा रायल्टी हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2011 में राज्य के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर संशोधन किए गये। उक्त संशोधनों के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तक में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम, बाजरी, बोल्डर एवं इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए दिनांक 07.082015 से ` 90.00 प्रति घनमीटर के स्थान पर ` 200.00 प्रति घनमीटर, दिनांक 26.02.2016 से ` 200.00 प्रति घनमीटर के स्थान पर ` 194.50 प्रति घनमीटर एवं दिनांक 19.05.2016 से ` 194.50 प्रति घनमीटर के स्थान पर ` 154.00 प्रति घनमीटर कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा 22 निर्माण कार्यों पर खनिज पदार्थों जैसेः- पत्थर, बालू एवं मिट्टी जो ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गये है, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी संशोधित दरों के आधार पर नहीं की गई। परिणामस्वरूप ` 3.42 लाख (संलग्नक-1) की रायल्टी की वसूली देयकों से नहीं की गई जबकि रायल्टी की वसूली ठेकेदार द्वारा प्रत्येक देयकसे उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय-समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। रायल्टी की वसूली न किया जाना न केवल ठेकेदार को अदेय लाभ पहुँचाना हुआ अपितु शासन को भी ` 3.42 लाख के राजस्व से वंचित करना भी हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर परियोजना प्रबन्धक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि संशोधित शासनादेश इकाई में प्राप्त न होने के कारण कटौती नहीं की जा सकी। संलग्नक में उल्लिखित दरों का पुनः समीक्षा की जाएगी एवं सही पाए जाने पर ठेकेदारों के आगामी देयकों से कटौती की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की वसूली प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय-समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए। परिणामतः रायल्टी की वसूली न किए जाने से शासन को ` 3.42 लाख के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

अतः रायल्टी की वसूली न किए जाने के कारण ` 3.42 लाख के राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

क्र. सं.	कार्य का नाम	माप पुस्तिका के अनुसार			निर्धारित दर	वसूल की गई धनराशि	वसूली जाने वाली धनराशि	कम वसूली गई राशि
		माप की तिथि	प्रयुक्त पत्थर/बालू	प्रदत्त दर				
1.	Nala Fencing laying jointing of rising main/sewer line and its appurtant works (Devprayag I&D)	28.04.16	58.55	90.00	194.50	5270	11388	6118
2.	Nala Fencing laying jointing of rising main/sewer line and its appurtant works (Devprayag I&D)	28.12.15	86.12	90.0	200.00	7751	17224	9473
3.	Nala Fencing laying jointing of rising main/sewer line and its appurtant works (Devprayag I&D)	08.04.16	206.32	90.0	194.50	18569	40129	21560
4.	Nala Fencing laying jointing of rising main/sewer line and its appurtant works (Devprayag I&D)	11.02.16	130.14	90.00	200.00	11713	26028	14315
5.	Land Slide Treatment at 1.4 Mid STP Site Devprayag	15.03.16	262.50	90.00	194.50	23625	51056	27431
6.	Land Slide Treatment at 1.4 Mid STP Site Devprayag	25.02.16	551.25	90.00	200.00	49613	110250	60638
7.	Land Slide Treatment at 1.4 Mid STP Site Devprayag	22.04.16	6.75	90.00	194.50	608	1313	705
8.	Land Slide Treatment at 1.4 Mid STP Site Devprayag	26.05.16	96.5	90.00	154.00	8685	14861	6176
9.	Land Slide Treatment at 1.4 Mid STP Site Devprayag	30.0316	156.00	90.00	194.50	14040	30342	16302
10.	Land Slide Treatment at 1.4 Mid STP Site Devprayag	05.03.16	192.50	90.00	194.50	17325	37441	20116
11.	Approach road to STP Site Devprayag	14.01.16	115.57	90.00	200.00	10401	23114	12713
12.	Construction of 75 Kld	09.06.16	14.38	90.00	154.00	1294	2215	920

	STP at Shanti Bazar Devprayag							
13.	Construction of 150 Kld STP at Sangam Bazar Devprayag	20.05.16	30.61	90.00	154.00	2755	4714	1959
14.	Construction of 75 Kld STP at Shanti Bazar Devprayag	27.09.16	4.78	90.00	154.00	430	736	306
15.	Laying jointing of Sewer line & its appurtant work	12.09.15	108.73	90.00	200.00	9786	21746	11960
16.	Laying jointing of Sewer line & its appurtant work	16.08.15	46.8	45.00	200.00	2106	9360	7254
		16.08.15	78.53	40.00	200.00	3141	15706	12565
		16.08.15	32.90	0	200.00	0	6580	6580
17.	Repair Restoration & Protection work	16.06.16	435.00	90.00	154.00	39150	66990	27840
18.	Restoration and Recunstruction of Devprayag sewerage Scheme (Disaster)	22.01.16	33.94	90.00	200.00	3055	6788	3733
19.	Restoration and Recunstruction of Devprayag sewerage Scheme (Disaster)	27.01.16	125.33	90.00	200.00	11280	25066	13786
20.	Construction of Steel truss Bridge & SPS at Bah Bazar	19.02.16	141.67	90.00	200.00	12750	28334	15584
21.	Nala Fencing laying jointing of rising main/sewer line and its appurtant works (Devprayag I&D)	18.09.15	28.76	90.00	200.00	2588	5752	3164
		18.09.15	294.86	80.00	200.00	23589	58972	35383
22.	Construction of Sewerage Pumping Station & Its Appurtenat work	28.09.15	14.62	90.00	200.00	1316	2924	1608
		28.09.15	27.61	80.00	200.00	2209	5522	3313
Total								**341505**

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2-(क) जमानत राशि ` 13.40 लाख का निस्तारण न किया जाना एवं विविध निक्षेप में जमा धनराशि ` 1.27 लाख का निस्तारण किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर 613 में निर्दिष्ट है कि ठेकेदारों/फर्मों से जमानत जमा राशि अनुबंध या समझौता की शर्तों के आधार पर ली जाएगी और अन्ततः उन्ही शर्तों के आधार पर वापस अथवा विनियोजित की जाएगी। इसी प्रकार प्रस्तर 618 में निर्दिष्ट है कि अनुबंध या समझौते की शर्तों से इतर कोई भी जमानत जमा राशि बिना सक्षम अधिकारी के विशेष आदेश के न तो जमाकर्ता को वापस की जाएगी और न ही उसका अन्यथा निस्तारण किया जाएगा।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नवम्बर 2016 तक इकाई के पास जमानत राशि के रूप में जून 1972 से जनवरी 2011 की अवधि की ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ` 13.40 लाख धनराशि (विवरण संलग्न) की प्रतिभूतियाँ जमा है जिसकों उपरोक्त नियमों के अंतर्गत न तो जमाकर्ताओं को वापस किया गया और न ही उनका सक्षम अधिकारी के आदेशोपरान्त निस्तारण किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर परियोजना प्रबन्धक ने उत्तर में बताया कि अधिकतम धनराशि प्रदेश विभाजन से पूर्व के ठेकेदारों की है जो कि प्रार्थी के आवेदन करने पर ही वापिस की जाएगी। प्रार्थियों द्वारा आवेदन न करने पर उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त होने पर निराकरण किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विगत 16 वर्षों के बाद भी धनराशि का अवशेष रहना कार्यालय की उदासीनता को दर्शाता है।

अतः जमानत राशि ` 13.40 लाख का निस्तारण न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- (ख) विविध निक्षेप में जमा राशि ` 1.27 लाख का निस्तारण न किया जाना।

कार्यालय के अग्रिम/जमा संबंधी अभिलेखों/व्यक्तिगत खाते की नमूना जांच में पायागया कि कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्मुख दर्शाई गई धनराशियाँ ` 1.27लाख विविध निक्षेप के रूप में जमा है, जिसकों संबंधित/कर्मचारियों को वापस कर निस्तारण किया जाना था। परन्तु कार्यालय द्वारा इस धनराशि को कार्यालय में विविध निक्षेप के अंतर्गत ही रखा हुआ था। विवरण निम्नवत् हैः-

क्र.सं.	नाम	राशि
1.	श्री धीरेन्द्र सिंह	18,208
2.	श्री एस.के. वर्मा	16,396
3.	श्री अनुराग मैठाणी	32,858
4.	श्री अशोक कुमार प्रजापति	16,012
5.	श्री दीपक सिंह	5,229
6.	श्री अमित सिंह, I.E	19,764
7.	श्री एस.के. गोयल, E.E	19,008
योगः-		**1,274,75**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर परियोजना प्रबन्धक ने उत्तर में बताया कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र देने, एन.एस.सी. प्रस्तुत न किए जाने एवं धनराशि प्राप्त न होने के कारण विविध निक्षेप में पड़ी हुई है, जिसका निस्तारण उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर लिया जाएगा।

अतः विविध निक्षेप में जमा राशि ` 1.27 लाख का निस्तारण न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त ` 1.14 लाख का अनियमित उपयोग किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के पत्रांक संख्या- वित्त अनुभाग-3/2003-04 दिनांक 30 अप्रैल में निर्देशित आदेशों के अनुसार यदि किसी विशिष्ट कारणों से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तो इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ 04-राज्य/संघराज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ 800-अन्य प्राप्तियाँ,12 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर के वर्ष 2014-15 से 2016-17 (11/2016 तक) के राजस्व प्राप्तियों से संबंधित लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा इस अवधि में कुल 1,14,400.00 राजस्व प्राप्त किया एवं प्राप्त राजस्व को कार्यालय के उपयोग में लायाजा रहा है, जबकि निर्देशानुसार राजस्व प्राप्तियों को संबंधित शीर्षो में जमा किया जाना था। वर्षवार प्राप्तियों का विवरण निम्न हैः-

वर्ष	टेण्डर एवं सूचना के अधिकार एवं अन्य से प्राप्त धनराशि
2014-15	13,100.00
2015-16	95,500.00
2016-17 (11/2016)	5,800.00
योगः-	**1,14,400.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर परियोजना प्रबन्धक ने बतायाकि इस तरह के कोई निर्देश कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए है, फिर भी मुख्यालय से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाई की जाएगी।

अतः राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त ` 1.14 लाख के अनियमित उपयोग किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः-

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

(अ) अनुपालन आख्या

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. **सतत् अनियमितताएः-**

(अ) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अवधि

1.	इ. के.के. रस्तोगी	परियोजना प्रबन्धक	13.08.2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

5. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।

1. श्री शिव सिंह गुसांई, दिनांक 01.04.2014 से 30.06.2014 तक

2. श्री वी.एस. भारती, दिनांक 01.07.2014 से 30.09.2014 तक

3. श्री डी.पी. काला, दिनांक 01.10.2014 से वर्तमान तक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)